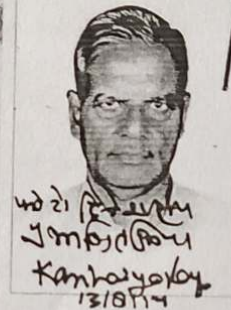




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 244570



दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 13.08.2014 को दिनेश राय पुत्र स्व० गिरिजा राय ग्राम-लखमीपुर, पोस्ट-फतेहपुर अटवां, जनपद-गाजीपुर (जिसे एतदपश्चात् संस्थापक/न्यासकर्ता से सम्बोधित किया गया) के द्वारा निष्पादित किया गया है।

ट्रस्ट का नाम-विनय भारत ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता-ग्राम-लखमीपुर, पोस्ट-फतेहपुर अटवां, जनपद-गाजीपुर उ०प्र०।

मुख्यालय/कार्यालय-ग्राम-लखमीपुर, पोस्ट-फतेहपुर अटवां, जनपद-गाजीपुर उ०प्र० (जिसे आवश्यकतानुसार व समयानुसार अन्यत्र व विभिन्न स्थानों पर स्थापित व स्थानान्तरित किया जा सकेगा)

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र-सम्पूर्ण भारत।

ट्रस्ट की स्थापना राशि-11,000 (ग्यारह हजार रुपये मात्र)

ट्रस्ट का उद्देश्य-

ट्रस्ट का उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राणी मात्र के सर्वांगीण विकास जिनमें बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व धार्मिक विकास तथा समृद्धि हेतु देश-विदेश में संस्थाओं की स्थापना कर सर्वलोक व सर्वजन कल्याणार्थ लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित व जागान्वित करने का प्रयास करना एवं इन कार्यों में सहकारी, सरकारी, विदेशी व अन्य संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना एवं उनका सहयोग करना। न्यास मानव अधिकार, स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार व विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा देश, विदेश में लोगों को जागरूक करेगा व इसके लिये हर सम्भव प्रयास करेगा। मानव समाज को समृद्ध, संगठित स्वस्थ एवं नैतिकवान बनाने हेतु देश में परियोजनाओं के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में कार्य करेगा।

Sand
PRINCIPAL
CHINMAY BHARAT ACADEMY
LAKHAMIPUR, GHAZIPUR

विनय

प्रेम
MANAGER
CHINMAY BHARAT ACADEMY
LAKHAMIPUR, GHAZIPUR

क्रमशः— 2

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 244571

-2-

सरकार, राज्य सरकार, निजी संस्थाओं एवं राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग प्राप्त कर कार्य करेगा और परियोजनाओं का संचालन करेगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो व उद्देश्यों की पूर्ति करना भी सम्मिलित है :-

1. ट्रस्ट का उद्देश्य सम्पूर्ण मानव को शिक्षित करके निरक्षरता उन्मूलन एवं उनके नैतिक, चारित्रिक एवं मानसिक विकास करने व शैक्षणिक स्तर को ऊँचा करने के लिये और उनके सर्वांगीण विकास हेतु समस्त कार्य करना है तथा विकास व उत्थान से सम्बन्धित कार्यक्रम का संयोजन, संचालन व सम्पादन किया जाना व उससे सम्बन्धित सभी संसाधनों की व्यवस्था करके अपने देश व विदेश में संस्थाओं की स्थापना करके सामाजिक उन्नयन, विकास एवं सुधार करने के साथ ही सम्पूर्ण मानव समुदाय को यथासम्भव आर्थिक सामाजिक शैक्षिक, नैतिक, आध्यात्मिक रूप से सवल बनाना है।

2. देश में, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक व बौद्धिक विकास हेतु कारगर प्रयास करना तथा विकास को सुनिश्चित करना। लिंग, जाति, धर्म व क्षेत्रवाद के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करना तथा लोगों में मानवीय गुणों को विकसित करना तथा समतामूलक समाज के स्थापना हेतु प्रयास करना है।

3. देश में व्याप्त कुरीतियों, अपराध, नशा, निराशा व गरीबी को समाप्त करना तथा अमीरों और गरीबों, किसानों और गैर किसानों के बीच जीवन दशा के अन्तर को समाप्त करना, दलितों व कमजोर वर्गों तथा गरीबों पर होने वाले अत्याचार को रोकना तथा स्वार्थपरता को मिटाने का उपाय करना तथा गरीबी को खत्म करना की दिशा में सभी उपाय व कार्य करना है।

4. महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों व दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकना तथा उसका निराकरण व निदान कर संतुलित समाज की स्थापना करना। मानव विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना व देश के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा दिलाना है। लोगों की समस्याओं का संकलन व उसके निराकरण का उपाय व विश्लेषण करना और दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, बालश्रम इत्यादि कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में प्रभावकारी अभियान चलाना तथा देशवासियों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में हर सम्भव कार्य करना है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की दिशा में बंधुआ गजदूरी की मुक्ति, दारता प्रथा की समाप्ति, नारी उद्धार, नारी

Saini
PRINCIPAL
CHINMAY BHARAT ACADEMY
LAKHAMIPUR, GHAZIPUR

हिरेश

प्रमोद
MANAGER
CHINMAY BHARAT ACADEMY
LAKHAMIPUR, GHAZIPUR

क्रमशः----- 3



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 244572

-3-

संचालन करना तथा उसके निमित्त केन्द्रों की स्थापना कर उसका संचालन करना है।

5. असहाय, वृद्धों के कल्याणार्थ डे केयर सेंटर, ओल्ड एज होम, वृद्धा पुनर्वास केन्द्र, विकलांगों के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास कार्यक्रम व योजना के अन्तर्गत परित्यक्त महिलाओं को पुनर्वासित कर समाज के मुख्य धारा में जोड़ना तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आदिवासियों के लिये शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिये तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, झोपड़ी तथा फुटपाथों पर जीवनयापन करने वाले बच्चों के लिये शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिवार परामर्श केन्द्र एवं बाल श्रमिकों के लिये विद्यालय तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, गोष्ठी, सेमिनार का आयोजन करना तथा नारी उद्धार, नारी जागृति, अनाथालय, वृद्धाश्रम, निराश्रित व विस्थापित केन्द्रों की स्थापना करना व उसका संचालन करना है। ट्रस्ट लावारिस लाशों के कफन व दफन का भी इन्तजाम करेगा और उसके धर्म के अनुसार उनकी अन्त्येष्टि भी करेगा।

6. ट्रस्ट का उद्देश्य सभी मानव को शिक्षित करना तथा उसके निमित्त प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट विद्यालय, स्नात व स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दलित अम्बेडकर विद्यालय, संस्कृत व उर्दू पाठशाला, मूकबधिर व विकलांग तथा नेत्रहीन छात्र/छात्राओं की पाठशाला, विधि विद्यालय, तकनीक शिक्षण विद्यालय, उच्च शिक्षण व अनुसंधान केन्द्र, कम्प्यूटर शिक्षण केन्द्र, प्रोफेशनल विद्यालय, प्रौद्योगिक कला, पत्रकारिता, वाणिज्यिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी शिक्षा, गायन वादन, नृत्य कला, प्रशिक्षण व भारतीय भाषाओं से सम्बन्धित शिक्षण संस्थाएँ व प्रोफेशनल विद्यालय, बी०ए०, बी०टी०सी०, नर्सरी ट्रेनिंग, बी०ए०, डी०ए० बी०पी०ए०, बी०पी०डी०, व एन०सी०टी०ई०टी० तथा मान्य समस्त शैक्षणिक डिग्री व डिप्लोमा भारत में संचालित करना तथा शैक्षणिक बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर उनसे सम्बद्ध, आवद्ध पंजीकृत व अनुमोदित कराकर विभिन्न विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करना व उसका प्रबंध करना तथा अन्य संस्थाओं की स्थापना में सहयोग करना और प्रमाण पत्र व डिप्लोमा, डिग्री प्रदान करना।

7. अगर ट्रस्ट विद्यालय की स्थापना करेगा तो निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा-

क. विद्यालय के प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

Saw
PRINCIPAL

पिनेश राय

Pranav
MANAGER

भारतीय गैर न्यायिक

पंचायत

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

रु. 50

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

भारत

FIFTY

RUPEES

FIFTY

RUPEES

FIFTY

RUPEES

FIFTY

RUPEES

FIFTY

RUPEES

FIFTY

RUPEES

FIFTY

RUPEES

FIFTY

RUPEES

FIFTY

RUPEES

FIFTY

RUPEES

FIFTY

RUPEES

FIFTY

RUPEES

FIFTY

RUPEES

FIFTY

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 244573

-4-

ख. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

ग. यह कि संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूरे में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है व विद्यालय की सम्बद्धता सेन्टर ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

घ. यह कि संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

ड. यह कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

च. यह कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

छ. यह कि विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।

8. शिक्षा, विकास पर, सेमिनार, कार्यशाला व सभा का आयोजन करना। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उनके नियोजन के लिये अवसर सृजन करना और नियोजन देना। प्रत्येक गांव पंचायत, प्रखण्ड, जिला स्तर राज्य

Saw
PRINCIPAL

CHINMAY BHARAT ACADEMY
LAKHAMIPUR, GHAZIPUR

Signature



Signature
MANAGER

CHINMAY BHARAT ACADEMY
LAKHAMIPUR, GHAZIPUR

क्रमशः—5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 133863

-17-

17.3 यह कि ट्रस्ट का कोई भी ट्रस्टी अपने पद से एक माह पूर्व की अपनी लिखित नोटिस देकर अपना पद छोड़ सकता है।

17.4 यह कि ट्रस्ट की मीटिंग में 1/2 सदस्यों की उपस्थिति कोरम की पूर्णता के लिये आवश्यक होगा। यदि कोरम पूर्ण नहीं होता है तो मीटिंग आधे घण्टे के लिये स्थगित की जायेगी, तदोपरान्त उपस्थिति ट्रस्टियों चाहे जिस संख्या में हो की मीटिंग संचालित कर निर्णय लिया जा सकेगा।

17.5 यह कि सभी मामलों व प्रश्नों पर जो मीटिंग में उठाये जाय, बहुमत के आधार पर निर्णित किये जायेंगे, लेकिन मतों के बराबर की स्थिति में अध्यक्ष/मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी का मत आखिरी व निर्णायक होगा।

17.6 यह कि प्रत्येक बैठक की मिनट बुक अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

17.7 यह कि ट्रस्ट का एकाउण्ट प्रत्येक 31 मार्च को समाप्त हुआ करेगा और आय व्यय का अद्यतन लेखा जोखा विधिवत आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि के एक माह पूर्व तैयार करवा लिया जायेगा।

17.8 यह कि इस ट्रस्ट में नामित व्यक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्ट व सामान्य सदस्य के रूप में अपने नामांकन का तथा मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दान में दी गयी सम्पत्ति को ट्रस्ट की सम्पत्ति स्वीकार करते हैं।

17.9 अध्यक्ष/मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट की किसी/किन्हीं प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

17.10 उक्त न्याय का विखण्डन न्यास अधिनियम व तत्सम प्रवृत्त विधि के प्राविधानों के अनुरूप हो सकेगा। "चिन्मय भारत ट्रस्ट" की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित चिन्मय भारत ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियम घोषित, स्वीकृत, आत्मर्पित एवं तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित एवं अंगीकृत की जाती है। तदनुसार प्रस्तुत न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया जाता है।

Sai
PRINCIPAL

CHINMAY BHARAT ACADEMY
LAKHAMIPUR, GHAZIPUR

[Signature]

[Signature]
MANAGER

CHINMAY BHARAT ACADEMY
LAKHAMIPUR, GHAZIPUR

क्रमशः— 18

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

TEN
RUPEES

रुपये

रु. 10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 133244

-18-

मसविदाकर्ता :- कन्हैया राय एडवोकेट
चेम्बर-6 सिविल कोर्ट, गाजीपुर।

Kanhaiya Rai

Advt
No. 2000/88

व्यकरणकर्ता :- फिरोज खान

RAHMAN

हो निष्पादनकर्ता:-

फिरोज खान

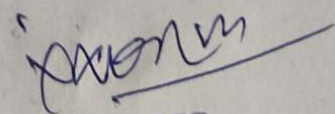
साक्षीगण :-

1. मुहम्मद अली खान पुत्र स्व. सुमेर पाण्डेय
2. नुजाबाबा हनुमान मन्दिर रोड मुहम्मदबाद
गाजीपुर

श्रीधनाथ राय, अधिवक्ता
सिविल कोर्ट मुहम्मदबाद
जनपद गाजीपुर


PRINCIPAL

CHINMAY BHARAT ACADEMY
LAKHAMIPUR, GHAZIPUR


MANAGER
CHINMAY BHARAT ACADEMY
LAKHAMIPUR, GHAZIPUR